

प्रेस नोट

दिनांक 26.07.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 264/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 352, 351(3), 118(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण - 01. रामसजन यादव पुत्र रामनरेश यादव, 02. पिन्टू पुत्र राम सजन, 03. नितिन पुत्र स्व0 जगप्रसाद को महगूपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी शीतला प्रसाद पुत्र रामफेर निवासी लौव्वाबीरपुर पडाईनपुरवा थाना नवाबगंज द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 24.07.2026 को वह अपना खेत देखने गया था कि विपक्षीगण बिना हदबन्दी व पैमाइस के वादी की जमीन अपने खेत में मिलकर मेड़ बाँध लिए थे। जिसके सम्बन्ध में पूछने पर विपक्षीगण एक राय होकर कुदाल, लाठी डण्डो, भाला आदि से मारने लगे। परिजनों ने आवाज सुनकर बचाने आये उन्हें भी जाने मारने की नियत से मारने पीटने लगे जिससे सभी लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0- 264/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 352, 351(3), 118(2) बी0एन0एस0 बनाम रामसजन आदि 06 नफर आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जिसमे आज दिनांक 27.07.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों - 01. रामसजन यादव पुत्र रामनरेश यादव, 02. पिन्टू पुत्र राम सजन, 03. नितिन पुत्र स्व0 जगप्रसाद को महगूपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामसजन यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी पडाइनपुरवा मौजा लौव्वावीरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. पिन्टू पुत्र राम सजन निवासी पडाइनपुरवा मौजा लौव्वावीरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. नितिन पुत्र स्व0 जगप्रसाद निवासी पडाइनपुरवा मौजा लौव्वावीरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 264/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 352, 351(3), 118(2) बी0एन0एस0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी
02. हे0का0 सौरभ सिंह
03. का0 शैलेन्द्र दुबे
04. का0 विनोद कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

